आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–84 / 2020

श्री रामप्रवेश चौधरी

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
09.02.2023	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या–13032 / 2022 दिनांक–02.09.2022 में दिये गये आदेश के आलोक में श्री राम प्रवेश चौधरी, बर्खास्त डाटा इंट्री ऑपरेटर, ग्रेड–A, कोषागार शिवहर द्वारा यह अपील दायर की गयी है। जिला पदाधिकारी, शिवहर से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला श्री राम प्रवेश चौधरी पर लगाये गये प्रमाणित आरोप पर लिये गये निर्णय से संबंधित है। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है किः– श्री राम प्रवेश चौधरी, डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर कोषागार कार्यालय शिवहर में पदस्थापित थें। श्री अवधेश कुमार सिंह, सेवानिवृत शिक्षक, रा0म0वि0, सोनवरसा, तरियानी, शिवहर को सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि–5,69,573=00 रूपये की निकासी के एवज में 10,000=00 रूपये रिश्वत लेते हुए दिनांक–02.11.2017 को निगरानी धावा दल द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किये गये। उनके विरूद्व निगरानी थाना काण्ड सं0–089 / 2017 दिनांक–02. 11.2017, धारा–7 / 13(2) सह पठित धारा–13 (1) (डी0) भ्र0नि0अधि0–1988 के तहत दर्ज किया गया। श्री चौधरी के न्यायिक हिरासत में रहने के कारण जिला पदाधिकारी, शिवहर के आदेश ज्ञापांक 556 दिनांक 30.12.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–4 के नियम–9 के उप नियम 2 (क) के आलोक में दिनांक 02.11.2017 के प्रभाव से निलंबित किया गया। जेल से रिहा होने के पश्चात् श्री चौधरी द्वारा दिनांक 06.03.2018 को योगदान समर्पित किया गया।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषणव्यूरो, पटना के पत्रांक–3174 दिनांक–08.11.2017 द्वारा श्री चौधरी के विरूद्व लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के होने के कारण कार्यालय आदेश–93 दिनांक–08.03.2018 द्वारा पुनः निलंबित करते हुए इनके विरूद्व आरोप पत्र (प्रपत्र–'क') गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निदेश अपरसमाहर्ता–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, शिवहर को दिया गया।

आरोप प्रपत्र में गठित आरोप निम्न हैः–

श्री राम प्रवेश चौधरी, डाटा इंट्री ऑपरेटर, ग्रेड–A, कोषागार कार्यालय, शिवहर द्वारा अपने तत्समय पदस्थापित स्थल जिला कोषागार कार्यालय शिवहर पर श्री अवधेश कुमार सिंह, ग्राम–छतौनी, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर को सामान्य भविष्य निधि की राशि भुगतान करने में 10,000=00 रूपये रिश्वत लेने का आरोप है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी से प्राप्त कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री चौधरी, डाटा इंट्री ऑपरेटर, को दिनांक–02.11.2017 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों निगरानी धावा दल द्वारा पकड़े जाने, भ्रष्ट आचरण करने तथा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहने का आरोप प्रमाणित होता है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम 3 (i) (iii) के प्रतिकूल है। एक सरकारी सेवक के लिए कार्य के बदले रिश्वत लेना गंभीर मामला है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 यथा संशोधित नियमावली–2007 के नियम–14 (XI) में निहित प्रावधान के आलोक में जिला पदाधिकारी शिवहर के आदेश ज्ञापांक–369 दिनांक–31.07.2020 द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड अधिरोपित किया गया।

जिला पदाधिकारी, शिवहर के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में सिविल अपीलवाद संख्या–84/2020 दायर किया गया है।

श्री चौधरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-13032/2021 में दिनांक–02.09.2022 को आदेश पारित किया गया है, जिसका अंश निम्नवत् हैः–

"Writ application is accordingly disposed of with direction to the Respondent No. 2 to take a final decision on the petitioner's appeal, in accordance with law, expeditiously and preferably within eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order"

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि घटना के दिन या उसके पहले परिवादी का कोई भी कार्य अपीलार्थी के स्तर पर लंबित नहीं था। परिवादी के GPF भुगतान से संबंधित विपत्र पर प्राचार्य आदर्श मध्य विद्यालय, नरवारा द्वारा दिनांक 18.10.2017 को हस्तक्षरित कर जिला कोषागार

WEB COPY NOT OFFICIAL

को भेजा गया। दिनांक–19.10.2017, 31.10.2017, 22.10.2017, 26.10.2017, 27.10.2017 एवं 29.10.2017 को कार्यालय बंद रहने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक–30.10.2017 को विपत्र हस्ताक्षरित किया गया तथा दिनांक–31.10.2017 को Processed हो कर दिनांक–01.11.2017 को बैंक को हस्तांतरित हो गया। बैंक द्वारा दिनांक–02.11.2017 को जी.पी.एफ. की राशि परिवादी के खाते में अंतरित कर दी गयी थी। अपीलकर्ता का आरोप है कि उनके द्वारा याचित दस्तावेज संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोप के संबंध में कोई भी गवाह/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे की आरोप साबित हो सके।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री अवधेश कुमार सिंह, सेवानिवृत शिक्षक के सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि–5,69,573.00/– की भुगतान हेतु प्रधानाध्यापक, आदर्श मध्य विद्यालय, नरवारा द्वारा दिनांक–18.10.2017 को हस्ताक्षरित कर कोषागार, शिवहर को प्रेषित किया गया। श्री चौधरी, अपीलकर्ता द्वारा उक्त विपत्र दिवाली एवं छठ के अवकाश के पश्चात दिनांक–30.10.2017 को हस्ताक्षरित करते हुए दिनांक 31.10.2017 को CTMIS के माध्यम से उपस्थापित किया गया, जो दिनांक–31.10.2017 को जिला कोषागार पदाधिकारी द्वारा पारित हो कर दिनांक 01.11.2017 को बैंक को प्राप्त हो गया। बैंक द्वारा श्री अवधेश कुमार सिंह के खाते में उक्त राशि दिनांक–02.11.2017 को उनके सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता सं0–1812442677 में क्रेडिट कर दी गई। परिवादी द्वारा दिनांक– 02.11.2017 को 500 रूपये निकाला भी गया जिसका लेन–देन विवरणी TRF FROM 03148050101 02.11.2017 POS ATM PURCH 6072641792523004 है। इस प्रकार भुगतान के पश्चात भुगतान के लिए रिश्वत की मांग किया जाना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में आरोपी द्वारा मांगा गया दस्तावेज उसे उपलब्ध नहीं कराया गया एवं बिना किसी गवाह के विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया । निगरानी धावा दल के छापे के दौरान दो स्वतंत्र गवाहों का बयान दर्ज किया गया है। जिनका स्थायी पता वहीं है जो आवेदक का भी है।

सम्पूर्ण मामले की समीक्षा से स्पष्ट है कि–

परिवादी श्री अवधेश कुमार सिंह, का विपत्र दिनांक 17.10.2017 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है एवं दिनांक 18.10.2017 को अपीलकर्ता को प्राप्त है। दिनांक 18.10.2017 के बाद दिनांक 19.10.2017, 21.10.2017, 22.10.2017, 26.10.2017, 27.10.2017 एवं 29.10.2017 को राजपत्रित अवकाश था। दिनांक 31.10.2017 को प्रश्नगत विपत्र अपीलकर्ता द्वारा पारित कर दिया गया, दिनांक 01.11.2017 को विपत्र बैंक द्वारा प्राप्त कर लिया गया एवं दिनांक 02.11.2017 को परिवादी (अवधेश कुमार सिंह) को उक्त विपत्र की राशि उनके खाता में क्रेडिट भी हो गया। दिनांक 02.11.2017 को ही

WEB COPY NOT OFFICIAL

निगरानी धावा दल द्वारा अपीलकर्ता को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि उक्त महीने में राजपत्रित अवकाश रहने के कारण अपीलकर्ता द्वारा विपत्र पारित करने में विलंब करने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। अपीलकर्त्ता को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने से पूर्व ही शिकायतकर्त्ता को उनके भविष्य निधि की राशि का भुगतान हो चुका था एवं उन्होंने अपने खाता से पाँच सौ रूपये की निकासी भी कर ली थी। यह तथ्य उनके संज्ञान में भी था । भविष्य निधि की राशि का भुगतान उन्हें पूर्व में ही हो चुका था तो काम हो जाने के बाद किसी को रिश्वत देना तर्कपूण प्रतीत नहीं होता है तथा उक्त तिथि को उनके पास कोई कार्य भी लंबित नहीं था, इससे रिश्वत दिये जाने का कारण स्पष्ट नहीं होता है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है निगरानी धावा दल द्वारा जिन गवाहों का नाम दिया गया है, उनका पता भी तरियानि थानांतर्गत ही है। अर्थात परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह दोनो एक ही थाना से संबंधित होने के कारण यह मामला संदेहास्पद हो जाता है। अब इस संबंध में जाँच का विषय यह हो जाता है कि स्वतंत्र गवाह उस समय कोषागार कार्यालय में किस उद्देश्य से गये थे, क्या उन्हें कोषागार कार्यालय या उसके आस–पास कोई काम था। इस संबंध में समाहर्त्ता, शिवहर के आदेश में कुछ भी उल्लेखित नही है।

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानी धावा दल के प्रतिवेदन के अतिरिक्त आरोप पत्र में किसी अन्य अभिलेखीय साक्ष्य अथवा अन्य आरोप का उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु उक्त आरोप पत्र में साक्षियों की सूची संलग्न नहीं है और न ही संचालन पदाधिकारी द्वारा साक्षियों की जांच की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि जिला पदाधिकारी द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया है।

अतः प्रस्तुत मामले को जिला पदाधिकारी, शिवहर को इस निदेश के साथ विप्रेषित (Remmit Back) किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत मामले की तथा विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक, (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अनुरूप संचालन किये जाने के संबंध में पुनः समीक्षा करते हुए नये सिरे से सकारण आदेश पारित किया जाय ।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL